प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.09.2025

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा वाहन चोरी व टावर के उपकरण चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 टावर डिवाईस, चोरी करने के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त 01 वेगनआर कार बरामद।

दिनांक 06.09.2025 को स्वाट टीम नगर जोन व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1.आमिर पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 2.अय्युब पुत्र ताहिर निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 3.सलीमुद्दीन पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 4.निखिल पुत्र सुशील निवासी ग्राम शाहपुर बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ को थाना सिहानीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, टावर डिवाईस, एक वेगनआर कार व चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सिहानीगेट पर धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने लगभग 05-06 वर्ष पहले दादरी गौतमबुद्धनगर से तथा 02 टावर डिवाईस हमने 02 माह पहले राजस्थान से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट हटाकर चोरी करने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आमिर पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ, उम्र 25 वर्ष
2.अय्युब पुत्र ताहिर निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ, उम्र 22 वर्ष
3.सलीमुद्दीन पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राम सैफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ, उम्र 25 वर्ष
4.निखिल पुत्र सुशील निवासी ग्राम शाहपुर बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ, उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. अदद मोटरसाईकिल पेशन प्रो फर्जी नंम्बर प्लेट आगे-पीछे UP16BE3185, असली नं0 UP16BE3184

2.एक प्लास, एक कटर, एक लोहे की रेती मोटी, एक लोहे की रेती पतली, एक लोहे की रेती सलाई नमा, 5 चाबी बोल्ट खोलने की व एक तार कटर

3. घटना में प्रयुक्त 01 गाडी वैगनआर UP15EP5428 असली नं0 UP15EP5429

4. 01 डिवाईस RRUS 14B3 Made in India (S)CN31030424

5. 01 डिवाईस Radio 2219 BOA (S) CN32245813

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त निखिल उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना हस्तिनापुर मेरठ में लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम नगर जोन व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित बाल अपचारी अभिरक्षा में।

दिनांक 04.09.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री नदीम S/O सब्बीर R/O B-22 राजीव गांधी नगर न्यू मुस्तफाबाद बदरपुर खादर उत्तर पूर्वी दिल्ली -110094 ने अभियोग पंजीकृत कराया कि मेरा पुत्र जुबैर ग्राम अबूपुर मे हिमांशु के मकान पर मजदूरी पर एल्यूमिनियम का कार्य करता है। दिनांक 01.09.2025 को जुबैर व बाल अपचारी के बीच ओढने की चादर को लेकर झगडा हो गया था जिसमें बाल अपचारी ने जुबैर के ऊपर पेपर कटर से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे वादी के पुत्र का गम्भीररूप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.09.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

वाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि जुबैर के साथ मेरा ओढने की चादर को लेकर झगडा हो गया था जिसमें मैंने अधिक गुस्से में आकर पेपर कटर से जान से मारने की नीयत से जुबैर के ऊपर कई बार हमला कर दिया था जिसमें जुबैर काफी घायल हो गया था तथा मैं मौके से भाग गया था तथा पेपर कटर को गंगनहर के पास कहीं फेंक दिया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, 01 कार व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित 2,130/-रु0 बरामद।

आज दिनांक 07.09.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सुबह के समय अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर वैशाली सेक्टर 2/5 की पुलिया पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक गोल्डन कलर की कार आती हुई दिखाई दी। जिसे मौजूद पुलिस टीम द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन कार चालक के द्वारा कार का ना रोकते हुए बहुत तेज गति से एलीवेटेड की नीचे कच्चे रास्ते पर भगाया गया। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा किया गया। आगे जाकर के कार टकराकर रुक गई तथा इसमें सवार बदमाशों ने भागते हुए अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जिसके क्रम पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए अन्य दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम सुजल व अपने अन्य दो साथियों का नाम विशाल व संदीप बताया है। जिनके कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, 01 कार व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित 2,130/-रु0 बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये तीनों सुबह के समय गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट/स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करते हैं। दिनांक 25 अगस्त को थाना क्षेत्र कौशाम्बी में हुई चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से अन्य जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. सुजल पुत्र पवन निवासी ब्लॉक A म0न0 628 मंगोलपुरी थाना राजपार्क दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
2. संदीप पुत्र अशोक निवासी ब्लॉक G w- 28/217 झुग्गी मंगोलपुरी दिल्ली हाल पता कैलाश विहार ग्राम पंसाली थाना बेगमपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
3. विशाल पुत्र कुलदीप निवासी गली न0 19 म0न0 201 ग्राम पंसाली कैलाश विहार थाना बेगमपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, 01 कार व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित 2,130/-रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त सुजल उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग, चोरी व चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

* गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग, चोरी व चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

* गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग, चोरी व चोरी का माल बरामद होने आदि से सम्बन्धित लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू के विरूद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

दिनांक 06.09.2025 को अभियुक्त **आफताब उर्फ गुड्डू पुत्र अखलाक निवासी चौधरी चौक टोली मौहल्ला थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद** के विरूद्ध वाद संख्या -72/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति दी गयी तथा अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू उपरोक्त को ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना लोनी पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर ग्रहभेदन /चोरी के अभियोग एवं ग्रहभेदन का माल बरामदगी के सम्बन्ध में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
(कुल -अभियोग-03)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.09.2025 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष को अभियुक्त चांद द्वारा दुकान से सामान दिलाने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठाकर गन्ने के खेत मे ले जाना व उसके साथ गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा- 74/75/76 बीएनएस व 7/8 पोक्सो के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेनचात्मक कार्यवाही के दौरान ब्यान वादिया, गवाह, पीडिता के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो अधि0 की वृद्धि कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.09.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चाँद मौ0 उर्फ चांदू पुत्र दीन मौ0 निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै पीडिता को सामान दिलाने के बहाने मोटर साईकिल पर बैठाकर गन्ने के खेत मे ले गया था तथा उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चाँद मौ0 उर्फ चांदू पुत्र दीन मौ0 निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी गा0बाद उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना निवाडी पुलिस टीम।

ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 265 मोबाइल (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

सी०ई०आई०आर० (सेन्ट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन चोरी, स्नैचिंग लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 265 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये की बरामदगी की गई है। चोरी, स्नेचिंग/लूट व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यो (हरियाणा, बिहार, दिल्ली एनसीआर आदि) में से बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. **थाना इन्दिरापुरम – 50**
2. **थाना कौशाम्बी – 54**
3. **थाना खोड़ा – 30**
4. **थाना साहिबाबाद – 32**
5. **थाना लिंकरोड़ – 35**
6. **थाना शालीमार गार्डन – 30**
7. **थाना टीलामोड़ – 34**

बरामदगी

- चोरी किये हुए मोबाइल फोन-15
- गुमशुदगी के मोबाइल फोन- 241
- स्नेचिंग/लूट किये हुए मोबाइल फोन- 09

कुल बरामद मोबाइल फोन-

265 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये)

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 07.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1.अभियुक्त अकबर पुत्र मौ0 युसुफ खान नि0 फ्लैट नं0 617 जी न्यायखण्ड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद के विरूद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व 2. राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी पुत्र मोहन कुमार गोला नि0 म0नं0 87/88 सी न्यायखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट

गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिये 02 अभियुक्त अकबर उपरोक्त व राहुल कुमार उपरोक्त की जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त अकबर व राहुल कुमार उपरोक्त मौके पर न होने के कारण उनके परिवारीजनों को आदेश की तामील कराते हुए आदेश की एक-एक प्रति दोनों अभियुक्तों के परिवारीजनों को दी गयी तथा दोनों अभियुक्तों को उनके मस्कन पर एक-एक प्रति चिपकाकर साथ ही ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुए जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर करने के आदेश से उनके परिवारीजन व आस-पास के लोगों अवगत कराया गया साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी की अभियुक्तगण को आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना इन्दिरापुरम पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अकबर पुत्र मौ0 युसुफ खान नि0 फ्लैट नं0 617 जी न्यायखण्ड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
2. राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी पुत्र मोहन कुमार गोला नि0 म0नं0 87/88 सी न्यायखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अकबर उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गाली गलौच व मारपीट करने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट करने से सम्बन्धित 03 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर चोरी करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज कौशिक पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी-एच-02 ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 09/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गतजिला बदर की कार्यवाही की गई।

दिनांक 07.09.2025 को अभियुक्त नीरज कौशिक पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी-एच-02 ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या -09/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त नीरज कौशिक उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज कौशिक उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त नीरज कौशिक को

दी गयी तथा अभियुक्त नीरज कौशिक उपरोक्त की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गई कि अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना कविनगर पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नीरज कौशिक उपरोक्त के विरूद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर हत्या का 01 व मारपीट, बन्धक बनाना व डरा धमका कर पैसा वसूलना का 01 अभियोग तथा थाना कविनगर पर धोखाधडी का 01 अभियोग व उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप 01 अभियोग कुल 04 अभियोग कमि0 गाजियाबाद पर पंजीकृत है। ।

(कुल -अभियोग-04)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना कविनगर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त पंकज उर्फ पंकज चौधरी के विरुद्द धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त पंकज उर्फ पंकज चौधरी पुत्र सुन्दरपाल चौधरी उर्फ सुन्दर लाल निवासी गली न0 1 डिफैन्स कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या - 124/25 के अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त पंकज चौधरी को उनके घर पर तलाश किया गया . अभियुक्त उपरोक्त के उनके घर पर न मिलने के कारण अभियुक्त उपरोक्त के पिता को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त के पिता सुन्दरपाल चौधरी को दी गयी तथा अभियुक्त उपरोक्त के जिला बदर होने के सम्बन्ध मे ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया । साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना मोदीनगर पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त पंकज चौधरी उपरोक्त के विरूद्ध मारपीट सम्बन्धी थाना मोदीनगर पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शहजाद छोलसिया पुत्र यामीन नि0 ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद के विरुद्द वाद संख्या 160/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई।

दिनांक 06.09.25 को अभियुक्त शहजाद छोलसिया पुत्र यामीन निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के विरुद्द वाद संख्या 160/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 6 माह के लिए अभियुक्त शहजाद छोलसिया उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।
उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद छोलसिया उपरोक्त के मस्कन पर उसके परिजनों को आदेश तामील कराया गया तथा मौहल्ले व गाँव में ढोल नगाडों के साथ मुनादी करायी गयी कि अभियुक्त शहजाद उपरोक्त को अगले 6 माह तक जिला बदर किया गया , यदि अभियुक्त शहजाद उपरोक्त गाजियाबाद की सीमा के अन्दर या गाँव में दिखायी देता है तो थाना पुलिस को सूचना देंगें।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर पशु क्रूरता अधिनियम के 06 अभियोग एवं लूट से सम्बन्धित बरामदगी माल के 02 अभियोग एवं आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा पीडिता के साथ मारपीट कर गर्भपात कराने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 24.08.2025 को थाना वेव सिटी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की बहन के ससुरालीजन द्वारा दो लाख रुपये की मांग को लेकर एक राय होकर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल धारा 85/131/115(2)/351(2)/3(5) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मैडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में विपक्षीगण द्वारा पीडिता के साथ मारपीट कर गर्भपात होना प्रकाश में आया जिसके आधार पर अभियोग में धारा 91 BNS की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 07.09.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता परवीन पत्नी अब्दुल कादिर निवासी मौहल्ला कुरैशियान कुरैशी मस्जिद सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्ता का नाम व पता-

परवीन पत्नी अब्दुल कादिर निवासी मौहल्ला कुरैशियान कुरैशी मस्जिद सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ उम्र 50 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मेरी पुत्रवधू है जिससे हम निकाह के बाद से ही वाद विवाद चलता रहता था एक दिन हमने गुस्से में आकर इसके साथ मारपीट कर दी जिससे पीडिता का गर्भपात हो गया।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।